भारत सरकार

शक्षा मंत्रालय

स्कूल शक्षा और साक्षरता वभाग

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या-1242

उत्तर देने की तारीख-**08/12/**2025

एक राष्ट्र-एक शक्षा परिषद

1242. श्री त्रिवेन्द्र संह रावतः

क्या शक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार पूरे देश में 'एक राष्ट्र- एक शक्षा परिषद' और 'एक समान राष्ट्रीय पाठयक्रम' लागू करने पर वचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त वषय पर इसकी आवश्यकता, व्यवहार्यता और संभा वत लाभों का आकलन करने के लए कोई सर्वेक्षण, वशेषज्ञ वचार- वमर्श, से मनार और कार्यशाला आयोजित की गई है या अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है और यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण या चर्चाओं के प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाने वाले या सहयोग करने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं**?**

उत्तर

शक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क**)** से **(**ग**) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है।** जिन स्कूलों का स्वा मत्व/वत्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा नहीं कया जाता है**,** उन स्कूलों के प्रबंधन से जुड़े मामलों को संबं धत **राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, राज्य बोर्डों के** तहत **स्कूलों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें तैयार करना संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है।** इस प्रकार**, एक राष्ट्र-एक शिक्षा बोर्ड** अथवा **एक समान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।**

एनईपी **2020 की सिफारिश के अनुसरण में, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र,** परख **(समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना 8 फरवरी, 2023 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद** (एनसीईआरटी) **के तहत की गई थी। यह स्कूल मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकाय के रूप में**

कार्य करता है और मूल्यांकन सुधारों के संबंध में **बोर्डों का मार्गदर्शन करता है, राज्य उपलब्धि सर्वेक्षणों** में सहयोग **करता है और राष्ट्रीय स्तर पर** अधिगम **परिणामों को** श्रेष्ठ बनाने हेतु **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण) आयोजित करता है।**

राज्य की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को स्वीकार **करते हुए देशभर में छात्रों की गतिशीलता और शैक्षणिक प्रदर्शन में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से,** भारत में सभी मान्यताप्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए, **शिक्षा के पांच प्रमुख क्षेत्रों** अर्थात **प्रशासन, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, बुनियादी ढांचा और समावेशिता में मानकों को सुसंगत बनाने के लिए** वर्ष **2023-24 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र- परख, एनसीईआरटी द्वारा 'बोर्डों की समानता' में एक व्यापक अध्ययन** शुरू **किया गया था; स्कूल शिक्षा बोर्डों के साथ गहन परामर्श के आधार पर इस** कार्य **के मुख्य निष्कर्षों और नीतिगत सिफारिशों को https://ncert.nic.in/parakh/pdf/Equivalence_of_Boards_Report.pdf पर देखा जा सकता है।**

शिक्षा मंत्रालय द्वारा **आयोजित 'अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024' और** दिनांक **2 जुलाई, 2025 को** आयोजित **"बोर्डों के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन समतुल्यता** संबंधी **राष्ट्रीय सम्मेलन" के दौरान रिपोर्ट** के **प्रमुख** सुझावों **पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें राज्यों/**संघ राज्य क्षेत्रों **के शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों और एससीईआरटी के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, प्रश्नपत्र** टेम्पलेटों **के मानकीकरण को बढ़ावा देने और मूल्यांकन में** श्रेष्ठ कार्य**प्रथाओं को अपनाने के लिए राज्य शिक्षा बोर्डों के साथ परख, एनसीईआरटी द्वारा कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।**

*****